न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 22/2011 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2011/00082

आलम शाह पुत्र नन्थु शाह जाति मुसलमान निवासी गांव जलालसर तहसील व जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री करण सिंह तंवर
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 07.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम जामसर खसरा नंबर 223/15 में कुल 75 बीघा अपीलांट को गैर–खातेदारी चली आ रही थी। उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा अपीलांट की भूमि को मौके पर कब्जा काश्त नहीं मानकर गैर–खातेदार का नाम विलोपित कर वादगत भूमि को आराजी राज दर्ज करने के आदेश प्रदान किए। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और बिना सुनवाई के फैसला पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का कथन के अनुसार तहसील कार्यालय की रिपोर्ट में अपीलांट को मौंके पर कब्जा नहीं है, यह सर्वथा गलत और बेबुनियाद है। आराजी मुतनाजा बारानी है तथा वर्षा होने पर ही काश्त होती है। राज्य सरकार की मन्शा है कि जो व्यक्ति आवंटन का पात्र है व जिसका कब्जा सम्वत् 2016 से पूर्व का है उस काश्तकार को रकबा नियमन कर दिया जावें। किसी भी काश्तकार का नाम जमाबंदी में दर्ज हो जाने के पश्चात उसका नाम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत विलोपित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट की भूमि के खिलाफ केवल मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के वाहर जाकर आदेश पारित किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 07.09.2010 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील वीकानेर के ग्राम जामसर खसरा नंवर 223/15 में कुल 75 वीघा अपीलांट की गैर–खातेदार भूमि है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही है। उक्त वादगत भूमि पर गैर–खातेदार का कब्जा काश्त नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर ने गैर–खातेदार का नाम विलोपित करने का आदेश प्रदान किया है। जो नियमानुसार सही है। उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) वीकानेर ने किसी भी प्रकार का अनियमित एवं अवैधानिक कार्य नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं वहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार बीकानेर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट आलम शाह पुत्र नन्थु शाह को उक्त वादगत भूमि पर कब्जा काश्त ना होने के आधार बनाकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 में नियमानुसार पारित किया है, जो न्यायोचित हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर